सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

विषय-सूची		
अध्याय I प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III संरक्षित स्थल - पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून का स्थान और अवस्थिति		
3.1	पुरातात्विक स्थल और अवशेष का स्थान एवं अवस्थिति	7
3.2	पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का इतिहास	8
3.4	पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	8-9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की स्थिति - स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय IV स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय V प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	11
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	11

	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	12
	5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों	12
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	12
	5.2.8 संरक्षित स्थल तक पहुंच	12
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	12
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	12
अध्याय VI पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	13
6.2	पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की संवेदनशीलता	13
6.3	संरक्षित स्थल या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	13
6.4	पहचान किया जाने वाले भूमि उपयोग	13
6.5	संरक्षित स्थल क्षेत्र के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहरें	13
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	13
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	13
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	13
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	14
6.10	स्थल और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	14
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	14
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना	14
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	14
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	14
	6.13.2 पुनर्निर्माण	14-15
	6.13.3 नया निर्माण	15-16
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	17
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	18
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	18

CONTENTS

CHAPTER I Preliminary		
1.1	Short title, Extent and Commencements	19
1.2	Definitions	20-21
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of The Act	22
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-Laws	22
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	22-23
CHAPTER III Location and Setting of the Protected Site – "Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun"		
3.1	Location and Setting of the Archaeological Site and Remains	24
3.2	Protected boundary of the Archaeological Sites and Remains	24
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	24
3.3	History of the Archaeological Sites and Remains	25
3.4	Description of Archaeological Site (architectural features, elements, materials etc.)	25
3.5	Current Status	25
	3.5.1 Condition of the Archaeological Site and Remains - condition assessment	25
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	26
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	27
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	27
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Survey Plan	28
5.2	Analysis of surveyed data	28
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	28
	5.2.2 Description of built up area	28
	5.2.3 Description of green/open spaces	28
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	28

	5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise)	29
	5.2.6 State protected sites and listed Heritage Buildings	29
	5.2.7 Public Amenities	29
	5.2.8 Access to Protected Site	29
	5.2.9 Infrastructure services	29
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	29
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Site		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	30
6.2	Sensitivity of the Archaeological Sites and Remains	30
6.3	Visibility from the Protected Site or area and visibility from Regulated Area	30
6.4	Land-use to be identified	30
6.5	Archaeological heritage remains other than protected site	30
6.6	Cultural landscapes	30
6.7	Significant natural landscapes	30
6.8	Usage of open space and constructions	30
6.9	Traditional, historical and cultural activities	31
6.10	Skyline as visible from the Protected Site and from Regulated Areas	31
6.11	Traditional architecture	31
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	31
6.13	Permissible Building related parameters	31
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	31
	6.13.2 Reconstruction	31-32
	6.13.3 New Construction	32-33
6.14	Visitors facilities and amenities	33
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	34
7.2	Other Recommendations	34

Annexures		
अनुलग्नक-I Annexure-I	पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun	35
अनुलग्नक-II Annexure-II	पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की राजपत्र अधिसूचना Gazette Notification of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun	36-40
अनुलग्नक-III Annexure-III	अभिलेखीय मानचित्र Archival Map	41
अनुलग्नक -IV Annexure- IV	स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र Images of The Site and its Surroundings	42-46

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **"पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए 11.08.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित स्थल **"पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक/ स्थल के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii)इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv)ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत

अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून का स्थान और अवस्थिति

3.1 पुरातात्विक स्थल और अवशेष का स्थान एवं अवस्थिति:

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3 अक्षांश 30° 29' 49" उत्तर और देशांतर 77° 49' 36" पूर्व में स्थित है। यह स्थल चकराता रोड और यमुना नदी के पूर्व में, विकास नगर से लगभग 6 किलोमीटर और जिला मुख्यालय देहरादून से 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल में तीन स्थलों, संख्या 1, 2 और 3 में फैली तीन अग्नि वेदियों के अवशेष शामिल हैं। यह स्थल चारों ओर से आम के बागों से घिरा हुआ है, केवल विनियमित क्षेत्र के उत्तरी तरफ कुछ घर बने हुए हैं। संरक्षित स्थल के उत्तर की ओर एक मौसमी नदी बहती है।

विकास नगर बस स्टैंड स्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है जो 44 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून है जो 70 किलोमीटर दूर है।

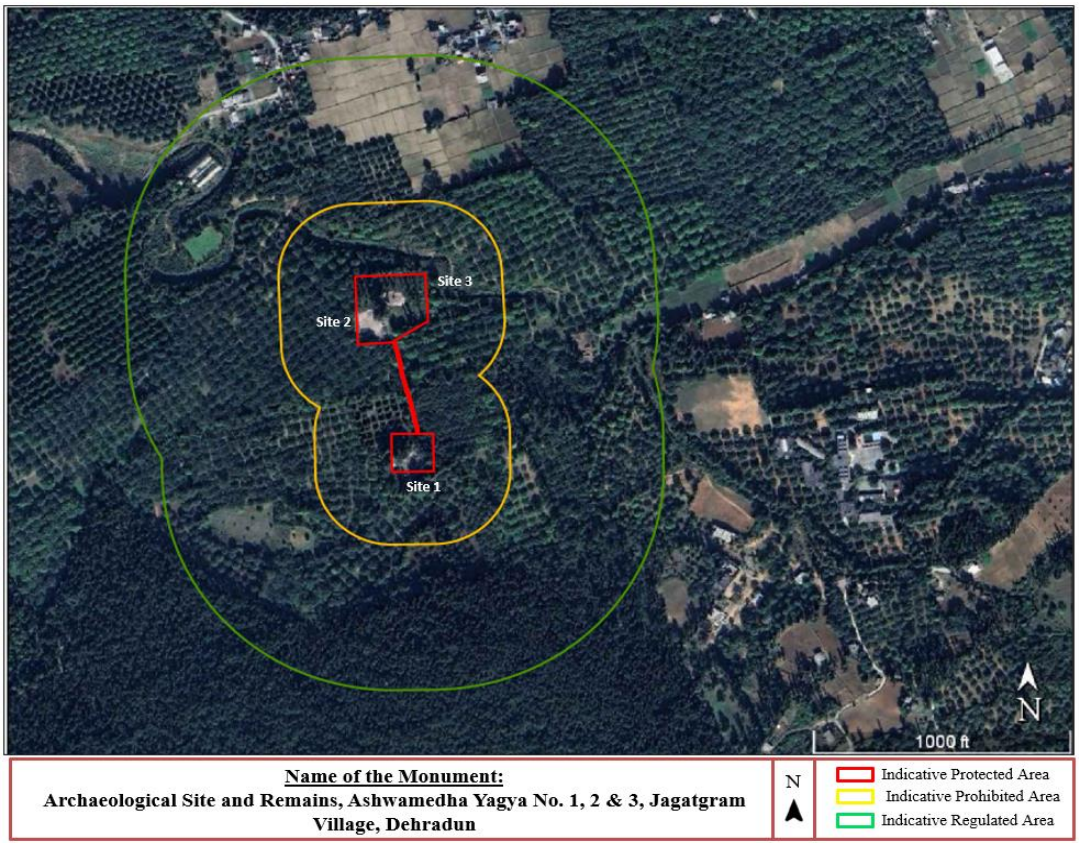

चित्र 1: संरक्षित स्थल - पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून का स्थान दर्शाता गूगल मानचित्र

3.2 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की संरक्षित सीमा:

संरक्षित स्थल - पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की संरक्षित सीमाएं **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती हैं।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.3 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का इतिहास:

यमुना नदी के पूर्वी तट पर जगतग्राम में पुरातात्विक स्थल और अवशेष, देहरादून जिले के कालसी में अशोक की प्रसिद्ध रॉक इडिक्ट से लगभग चार किलोमीटर दूर हैं, यह बीसवीं सदी के शुरुआती पचास के दशक में पुरातत्वविदों के ध्यान में आए और 1952-54 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई, जिसमें तीन अग्नि वेदियों और अन्य संबंधित वस्तुओं के अवशेष मिले, जिनमें उत्कीर्ण ईंटें भी शामिल हैं। स्येना चिति रूप (ईगल के आकार) में निर्मित इन वेदियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के सिलवर्मन नामक राजा द्वारा किए गए अश्वमेध बलिदान से जुड़ी हैं। जगतग्राम की तीन वेदियों में से एक में प्रयुक्त ईंटों पर तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख राजा के बारे में बताते हैं। स्थल इंगित करता है कि युगशैल के सिलवर्मन उर्फ पोना, जो वृषगण गोत्र के थे, ने यहाँ चार अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारतीय संदर्भ में ऐसी वेदियाँ अत्यंत दुर्लभ[1] हैं। युगशैल शब्द, जिसके बारे में सिलवर्मन को राजा के रूप में वर्णित किया गया है, संभवतः उनकी राजधानी का नाम था। यह स्थल हिमालय और यमुना नदी के सामने है जो पहाड़ों से अपनी पहली उतराई में है। शायद इसी परिस्थिति ने राजा की राजधानी का नाम युगशैल[2] रखने की प्रेरणा दी।

3.4 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

इस पुरातत्व स्थल और अवशेषों में तीन खुदाई स्थल शामिल हैं, जिनमें फैले हुए पंखों वाले *बाज* या चील की आकृति में अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ईंटें हैं, जहाँ राजा ने *अश्वमेध* किया था। इन अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ईंटों के अलावा, पहले स्थल की ईंटों पर तीसरी शताब्दी ई.पू. की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख अंकित हैं, जिससे पता चलता है कि राजा ने अपने चौथे अश्वमेध यज्ञ के *चिति* या वास्तुशिल्प अवशेष छोड़े थे।

दूसरे स्थल से कई उत्कीर्ण ईंटें मिलीं, जिनमें उसी भाषा और लिपि में सही *अनुष्टुभ मात्रा* (वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत काव्य दोनों में पाई जाने वाली पद्यात्मक मात्रा) में श्लोक अंकित थे। श्लोकों से राजा के व्यक्तित्व का पता चलता है जैसे कि वह *वर्षगण्य, युगेश्वर* या *युगेश* और *युग-शैल*[3] का स्वामी था। तीनों स्थलों को कम ऊंचाई वाली पत्थर की चिनाई वाली दीवारों से चिह्नित किया गया है।

---

[1] भारतीय पुरातत्व 1953-54 - समीक्षा

[2 एवं 3] भारतीय पुरातत्व 1953-54 - समीक्षा

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की स्थिति - स्थिति का आकलन:

पुरातत्व स्थलों और अवशेषों तथा इसके संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। स्थल की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक V** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

इस स्थल पर प्रतिदिन औसतन 25-30 आगंतुक आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

वर्तमान में संरक्षित स्थल अपने प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत – बढावाला और देहरादून जिले के क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के लिए कोई मौजूदा ज़ोनिंग परिभाषित नहीं है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह धरोहर उप-विधि स्थानीय भवन उप-विधि से अधिक महत्वपूर्ण है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की सर्वेक्षण योजना:

पुरातात्विक स्थल और अवशेष अश्वमेध यज्ञ 1, 2 और 3 जगतग्राम गांव, देहरादून का सर्वेक्षण मानचित्र **अनुलग्नक I** पर देखा जा सकता है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

स्थल का संरक्षित क्षेत्र 11,169 वर्ग मीटर (लगभग) है।

स्थल का प्रतिषिद्ध क्षेत्र 1,18,697 वर्गमीटर (लगभग) है।

स्थल का विनियमित क्षेत्र 5,10,562 वर्ग मीटर (लगभग) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र:

संरक्षित स्थल के आसपास का प्रतिषिद्ध क्षेत्र चारों तरफ आम के बागों से घिरा हुआ है। उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मौसमी नदी है। उत्तर-पश्चिमी दिशा में निर्मित केवल एक आधुनिक संरचना है जो विनियमित क्षेत्र में फैलती है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर में जी+2 की ऊँचाई वाली कुछ आवासीय इमारतें हैं जो आंशिक रूप से विनियमित क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आती हैं। दक्षिण की ओर कोई निर्मित संरचना नहीं है। विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्वी दिशा में केवल दो आवासीय घर हैं। पश्चिम की ओर कुछ आवास हैं और उत्तर-पश्चिमी दिशा में एक नर्सरी है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में चारों तरफ आम के बगीचे हैं। उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मौसमी नदी है।

विनियमित क्षेत्र:

विनियमित क्षेत्र भी आम के बागों और घने पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा बागों की सिंचाई के लिए छोटे-छोटे जल के रास्ते भी हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र- सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित सीमा के भीतर उत्खनन स्थलों के चारों ओर रास्ते हैं। संरक्षित स्थल 1 को स्थल 2 और 3 से जोड़ने वाला एक रास्ता है। यह रास्ता दोनों तरफ पेड़ों से ढका हुआ है। विनियमित क्षेत्र के उत्तर की ओर सड़कें हैं।

5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

पूर्वी दिशा में केवल एक इमारत है और उत्तर-पश्चिमी दिशा में एक और इमारत है। दोनों इमारतों में केवल भूतल (जी) है।

विनियमित क्षेत्र:

विनियमित क्षेत्र के भीतर, इमारतों की ऊंचाई जी से जी+1 तक भिन्न-भिन्न है। इमारत की अधिकतम ऊंचाई लगभग 6.6 मीटर (जी+1) है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित स्थल के आसपास कोई राज्य संरक्षित संस्मारक नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

सांस्कृतिक सूचना बोर्ड, सार्वजनिक सूचना बोर्ड, शौचालय, पेयजल, बेंच और कूड़ेदान जैसी सार्वजनिक सुविधाएं मौजूद हैं।

5.2.8 संरक्षित स्थल तक पहुंच:

यहां उत्तरी दिशा से एक सड़क के माध्यम से पहुँचा जा सकता है जो स्थल तक पहुँचने पर संकरी और कच्ची हो जाती है। पहुँच मार्ग का अधिकांश भाग निजी स्वामित्व वाले आम के बागों से होकर गुजरता है। यात्री वाहनों द्वारा स्थल तक पहुँचा जा सकता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

स्थल पर जल आपूर्ति उपलब्ध है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा अभी तक कोई भूमि-उपयोग योजना, मास्टर प्लान या ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किया गया है। इसलिए, भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार करते समय इस धरोहर उप-विधि में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है। मौजूदा भूमि उपयोग में बदलाव को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्याय VI

पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

यह एक दुर्लभ स्थल है जो इस दस्तावेज़ के पैरा 3.3 और 3.4 में वर्णित राजा *सिलवर्मन* द्वारा *तीसरी शताब्दी ई. में अश्वमेध* यज्ञ करने के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। न केवल उत्कीर्ण ईंटें घटना की पुष्टि करती हैं, बल्कि गरुड़ के आकार की अग्नि वेदी *सयेना चिति* के अवशेष भी यहाँ खुदाई से मिले हैं। *युगशैल* के रूप में वर्णित भूमि में यमुना के तट पर और अशोक की प्रसिद्ध रॉक इडिक्ट के बहुत निकट होने के कारण इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है।

6.2 पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

चूंकि संरक्षित क्षेत्र एक सुदूर क्षेत्र में स्थित है और आम के बागों और निजी संपत्ति से घिरा हुआ है, इसलिए कोई विकासात्मक दबाव, शहरीकरण या जनसंख्या दबाव दिखाई नहीं देता है। चूंकि स्थल क्षेत्र के पास एक मौसमी नदी मौजूद है, इसलिए बाढ़ के खतरे से भविष्य के किसी भी जोखिम पर विचार किया जा सकता है।

6.3 संरक्षित स्थल या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित स्थल घने पेड़ों और आम के बगीचों के कारण विनियमित क्षेत्र से दिखाई नहीं देता है। इसी तरह क्षेत्र में घने आम के बगीचे होने के कारण संरक्षित स्थल से केवल घने पेड़ ही दिखाई देते हैं।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र निजी स्वामित्व वाले आम के बागों से आच्छादित है। इसी तरह विनियमित क्षेत्र में अधिकांश भूमि आम के बागों और कुछ निजी आवासीय भवनों से आच्छादित है।

6.5 संरक्षित स्थल क्षेत्र के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

संरक्षित स्थल के आसपास कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

वर्तमान में संरक्षित स्थल से जुड़ा कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायता करता है:

मौसमी नदी आम के बगीचे और घने जंगल के पास प्राकृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं। जलधाराओं और पेड़ों के आसपास की हरी-भरी जगहें पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

खुले स्थानों में ज्यादातर निजी स्वामित्व वाले आम के बगीचे हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित स्थल के आसपास कोई भी पारंपरिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होती हैं।

6.10 स्थल और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

क्षितिज पर अधिकतर घने पेड़ ही दिखाई देते हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

इस स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में पारंपरिक वास्तुकला का कोई साक्ष्य नहीं है।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के

अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3. क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3. ख विनियमित क्षेत्र:

चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए इस धरोहर उप-विधि में निर्धारित ऊंचाई और अन्य भवन संबंधी मापदंड संरक्षित क्षेत्र के विनियमित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण के लिए लागू होंगे।

कृषि क्षेत्रों और बागों में, निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले निर्माणों की अनुमति दी जा सकती है। कृषि भूमि पर इन अनुमेय निर्माणों में खेती में लगे लोगों के लिए आवास और सहायक इमारतों के लिए संरचनाओं का निर्माण या फसलों, चारा, खाद, कृषि उपकरणों और अन्य समान सुविधाओं के भंडारण के लिए संरचनाओं का निर्माण शामिल है। विकास पैटर्न मुख्य रूप से कम घनत्व और कम ऊंचाई वाला होना चाहिए।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं।

संरक्षित स्थल में पुरातात्विक अवशेषों की संरचनात्मक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तहखाने के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जाए।

2. उपयोग:

i. चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपयोग को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि संरक्षित स्थल के आसपास की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए मौजूदा भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन न किया जाए।

ii. विनियमित क्षेत्र के भीतर उद्योगों और कारखानों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. नए निर्माण के अग्रभाग का डिज़ाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए। बाहरी अग्रभाग पर क्लैडिंग या पैनलिंग जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी साज-सज्जा के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. रंगीन चमकदार अग्रभाग के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. विनियमित क्षेत्र में इमारतों की छतें सपाट होती हैं। क्षितिज के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए इसी तरह का डिज़ाइन दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

ii. भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी का भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, *जालियाँ* या अन्य ऐसे डिज़ाइन तत्वों) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

iv. नई इमारत की छतें अपने आस-पास की छतों की विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें आस-पास की इमारतों की छत के आकार, दिशा और ढलान के साथ संरेखित करके दृष्टिगत रूप से संगत होना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और कोई भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री बाहरी साज-सज्जा के लिए हतोत्साहित की जानी चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित स्थल के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित स्थल और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

नदी पर पुल, फुट-ओवर ब्रिज, केबल कार परियोजना, रोपवे टर्मिनल भवनों, बांधों, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

आगंतुक सुविधाओं पर व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित स्थल के आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. संरक्षित स्थल के निकट विशेषकर सीमाओं पर, होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. विनियमित क्षेत्र के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनियां और ओवरहेड पानी की टंकियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर भूमि-उपयोग को विद्यमान रखा जाएगा।

v. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित स्थल के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

ii. मास्टर प्लान तैयार होने पर इसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के साथ-साथ उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को भी दर्शाया जाएगा।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Site **"Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the with the Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand were published on 11.08.2021, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2025 of the Protected Site - **"Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun".**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments/Sites.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of

public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself andother joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or miningoperation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

The AMASR Act, 1958, as amended, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments.The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C, 1958, & the AMASR Act, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out

constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

3.1 Location and Setting of the Archaeological Site and Remains:

Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3 is located at Latitude 30° 29' 49" North and Longitude 77° 49' 36''East. The site is located to the East of Chakrata Road, and River Yamuna, about 6 km. from Vikas Nagar and 48 km. North-West of Dehradun, the District Headquarters. This archaeological site comprises remains of three fire altars spread over three sites, No. 1, 2 & 3. The site is surrounded by mango orchards in all directions, with only a few houses built on the Northern side of the Regulated Area. There is a seasonal stream flowing on the Northern side of the Protected site.

The Vikas Nagar Bus stand is located at a distance of 6 km from the site. The nearest railway station is Dehradun Railway Station, which is 44 km away. The nearest airport is Jolly Grant Airport, Dehradun, at 70 km.

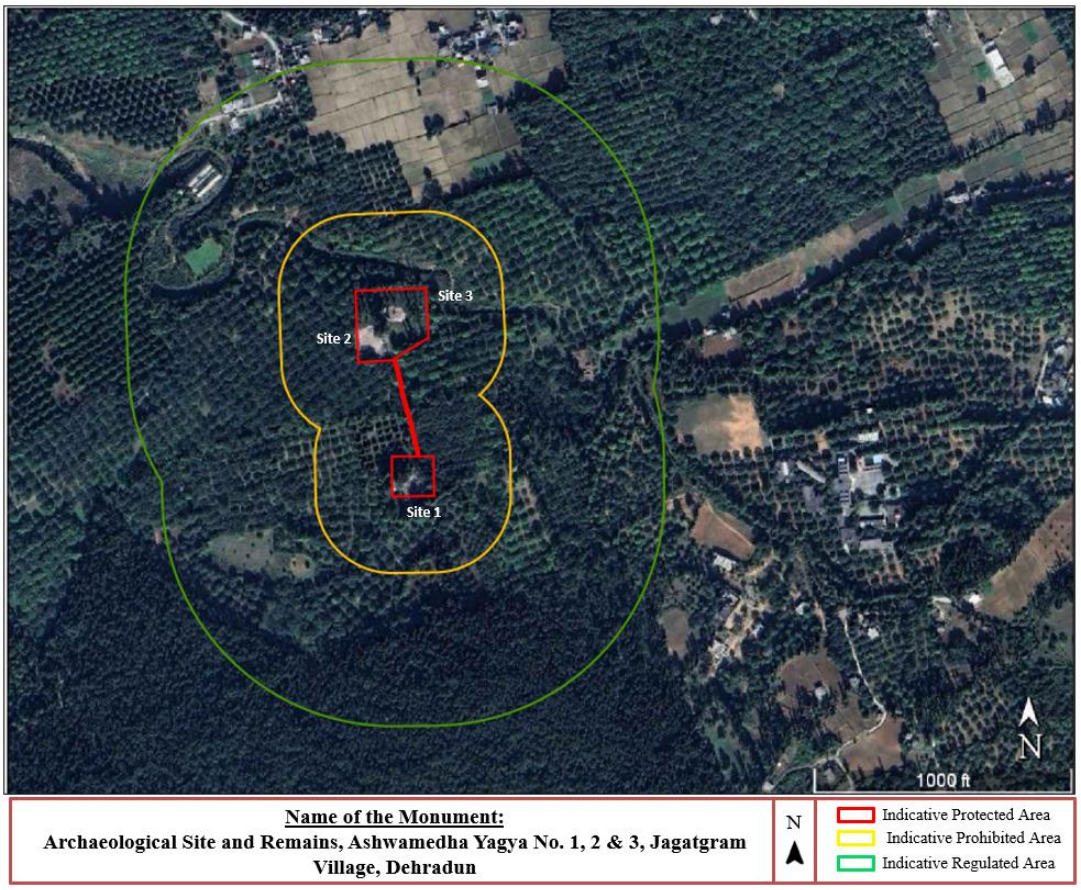

Image 1: Google map showing the location of Protected Site- Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

3.2 Protected Boundary of the Archaeological Sites and Remains:

The protected boundaries of the Protected Site - Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun may be seen at **Annexure-I.**

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of the Gazette Notification may be seen at **Annexure-II.**

3.3 History of the Archaeological Sites and Remains:

The Archaeological Sites and Remains at Jagatgram on the Eastern bank of the river Yamuna, is approximately four km from the famous Asokan Rock edict at Kalsi, in the Dehradun District, came to the notice of the archaeologists in the early fifties of the twentieth century and was excavated by the Archaeological Survey of India between 1952 – 54, revealing remains of three fire altars and other associated items, including inscribed bricks. Built-in Syena Chiti form (Eagle-shaped), these altars are believed to be associated with the Ashvamedha sacrifices performed by a king called Silavarman of the third century C.E. Sanskrit inscriptions in Brahmi characters of the late third century C.E. on bricks used in one of the three Jagatgram altars, reveal about the king. The site indicates that Silavarman, alias Pona, of Yugasaila, who belonged to the Vrishagana gotra, performed four Asvamedha sacrifices here. In the Indian context, such altars are extremely rare.[1] The term yugasaila, of which Silavarman is described as the king, was probably the name of his capital. The site faces the Himalayas and the river Yamuna in its first descent from the mountains. This circumstance perhaps inspired the name of the king's capital as Yugasaila.[2]

3.4 Description of Archaeological Sites and Remains (architectural features, elements, materials, etc.):

This Archaeological Sites and Remains consists of three excavated sites with well-designed bricks in the orientation of the *Syena*, hawk or eagle, with spread wings, where the king performed *Ashvamedha.* In addition to these well-designed bricks, bricks from the first site bore Sanskrit inscriptions in the Brahmi script of the third century C.E., revealing that the king left the *chiti* or the architectural remains of his fourth horse-sacrifice.

The second site brought out a number of inscribed bricks containing verses in the correct *anushtubh meter* (metrical unit found in both Vedic and Classical Sanskrit poetry) in the same language and script. The verses reveal the personality of the king as *varshaganya*, *yugesvara* or *yugesa*, and the lord of *Yuga-saila*.[3] All three sites are marked with low-height stone masonry walls.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Archaeological Sites and Remains - condition assessment:

The maintenance and preservation of the Archaeological Sites and Remains and its Protected Areas is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the monument are appended at **Annexure V.**

[1] Dehradun Circle, ASI

[2 & 3] Indian Archaeology 1953-54—A Review

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average daily footfall at the site is approximately 25-30 visitors per day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

At present, the Protected Site with its Prohibited and Regulated Area is situated in the area of Gram Panchayat – Badhawala and Dehradun District. There are no existing zoning for the Prohibited and Regulated Area defined by the local authorities.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

There are no guidelines available by the local authorities. Since there are no guidelines available by the local authorities, therefore this Heritage Bye-Law takes precedence over the local building bye-laws.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun:

Survey Plan of Archaeological Site and Remains Ashvamedha Yagya No. 1, 2 & 3 Jagatgram Village, Dehradun may be seen at **Annexure I.**

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

Protected Area of the site is 11,169 sqm (approximately)

Prohibited Area of the site is 1,18,697 sqm (approximately)

Regulated Area of the site is 5,10,562 sq. m. (approximately)

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited Area and Regulated Area:

The Prohibited Area around the Protected Site is surrounded by mango orchards in all directions. Towards the Northern side is the seasonal stream running from East to West. There is only one modern structure constructed in the North-Western direction, which spills into the Regulated Area. In the North of the Prohibited Area, there are a few residential buildings with a height of G+2, which come partially under the boundary of the Regulated Area. Towards the South side there are no built-up structures. There are only two residential houses in the Eastern direction of the Regulated and Prohibited Area. There are a few residences towards West and a nursery in the North-Western direction.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

Within the Prohibited Area there are mango orchards in all the directions. There is a seasonal water stream in the Northern direction flowing from East to West.

Regulated Area:

The Regulated Area too is covered by mango orchards and dense trees. In addition, there are small water channels for irrigating the orchards.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc:

Within the protected boundary, excavated sites have pathways around them. There is a pathway connecting the protected site 1 with site 2 & 3. This

pathway is covered with trees on both sides. There are roads towards the North of the Regulated Area.

5.2.5 Heights of buildings (Zone wise):

Prohibited Area:

There is only a single building in the Eastern and another in the North-Western direction. Both the buildings consist of a Ground Floor (G) only.

Regulated Area:

Within the Regulated Area, the height of the buildings varies from G to G+1. The maximum height of the building is approximately 6.6 meters (G+1).

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no state protected monuments in the vicinity of the Protected Site.

5.2.7 Public amenities:

Public amenities such as Cultural Notice Board, Public Notice Board, toilets, drinking water, benches and dustbins exist.

5.2.8 Access to Protected Site:

It is accessible from the Northern direction via a road that becomes narrow and unpaved as it reaches the site. The majority of the approach road passes through the privately owned mango orchards. One can access the site by passenger vehicles.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water supply is available on site.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

No land-use plan, master plan or zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities. Therefore, when formulating land-use plans/ master plans/ zoning regulations, it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in this Heritage Bye-Law. Alterations to the existing land use should be discouraged.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the Archaeological Sites and Remains

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

This is a rare site where archaeological evidence of the performance of the *Asvamedha* sacrifice in 3rd century CE by king *Silavarman* as described in Para 3.3 and 3.4 of this document. Not only do the inscribed bricks confirm the event, but the remains of the Garuda-shaped fire altar *Syena Chiti* have also been unearthed here. Being on the bank of Yamuna in the land that has been described as *Yugasaila* and very near to the famous Rock Edict of Asoka, the site has immense historical value.

6.2 Sensitivity of the Archaeological Sites and Remains (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

As the protected area lies in a remote area and is surrounded by mango orchards and private property, no development pressure, urbanization, or population pressure is visible. As a seasonal stream is present near the site area, any future risks from the flood hazard may be considered.

6.3 Visibility from the Protected Site or Area and visibility from Regulated Area:

The protected site is not visible due to dense trees and mango orchards from the Regulated Area. Similarly, due to the presence of mango orchards that densely cover the area, only dense trees are visible from the Protected Site.

6.4 Land-use to be identified:

The Prohibited Area is covered by privately owned mango orchards. Similarly, in the Regulated Area, the majority of the land is covered with mango orchards and some private residential buildings.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected Site:

There are no archaeological remains in the vicinity of the Protected Site.

6.6 Cultural landscapes:

At present, there is no cultural landscape associated with the Protected Site.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The seasonal water stream, the mango orchard, and the dense forest form part of the natural landscape near the site. The green spaces around the water streams and the trees act as a buffer from environmental pollution.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces mostly comprise mango orchards owned privately.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical, or cultural activities take place in the vicinity of the Protected Site.

6.10 Skyline as visible from the site and from Regulated Areas:

The skyline visible is mostly the dense trees.

6.11 Traditional Architecture:

There is no evidence of traditional architecture in the close vicinity of the site.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

No development plans have been prepared by the local authorities as yet.

6.13 Permissible building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected area and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated area of the Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of

incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Area and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A. Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of the AMASR Act, 1958, as amended, no new construction, including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Site.

6.13.3.B. Regulated Area:

Since no land-use plan/ master plan/ zoning regulations have been prepared by the Local Authorities, the height and other building related parameters prescribed in this Heritage Bye-Laws will be applicable for all types of construction in the Regulated Area of the Protected Area.

In the agricultural fields and orchards, constructions that fall under specified exemptions may be permitted. These permissible constructions on the agricultural land include construction of structures for dwellings and ancillary buildings for people engaged in farming or structures for storage of crops, fodder, manure, agricultural tools, and other similar facilities. The development pattern should be primarily low density and low rise.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **7.50 meters** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

Construction of the basement may not be encouraged to mitigate any adverse impact on the structural safety of the archaeological remains in the Protected Site.

2. **Usage:**

i. Since there is no defined land-use by the local authorities therefore it is recommended that there be no alterations to the existing land use to preserve the current setting around the Protected Site.

ii. The establishment of industries and factories should not be permitted within the Regulated Area.

3. Façade design:

i. The façade design of new construction should be minimalistic in nature. Intrusive materials like cladding or use of paneling on the exterior facade should be discouraged.

ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

iii. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

4. Roof design:-

i. Buildings in the regulated area have flat roofs. A similar design approach may be followed to maintain the harmony of the skyline.

ii. Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fiber glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, *jaalis* or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

iv. The roof(s) of new building should confirm to the characteristics of the roof(s) around them. They should be visually compatible, by aligning with the roof shape, orientation and pitch of surrounding buildings.

5. Building material:

Modern building materials such as aluminum cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be encouraged.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Site such as buff sandstone colour, white, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Site and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like bridge over river, foot-over bridges, cable car project, Ropeways Terminal Buildings, dams, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities may be considered as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Site.

ii. No advertisements in the form of hoardings, bill boards and posters should be permitted near the Protected Site, especially on the boundaries.

iii. Telephone exchange, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged.

iv. The Land-use within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Site to be retained as existing.

v. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Site may be encouraged to mitigate adverse impact due to vehicular emissions and vibrations.

7.2 Other Recommendations:

i. Extensive publicity programmes may be conducted to increase public awareness about the historical and architectural significance of the Monument.

ii. The master plan as and when prepared to show all the Protected Monuments and Archaeological Sites and Remains of national importance, along with their Prohibited and Regulated Areas.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक–I
ANNEXURE–I

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 एवं 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

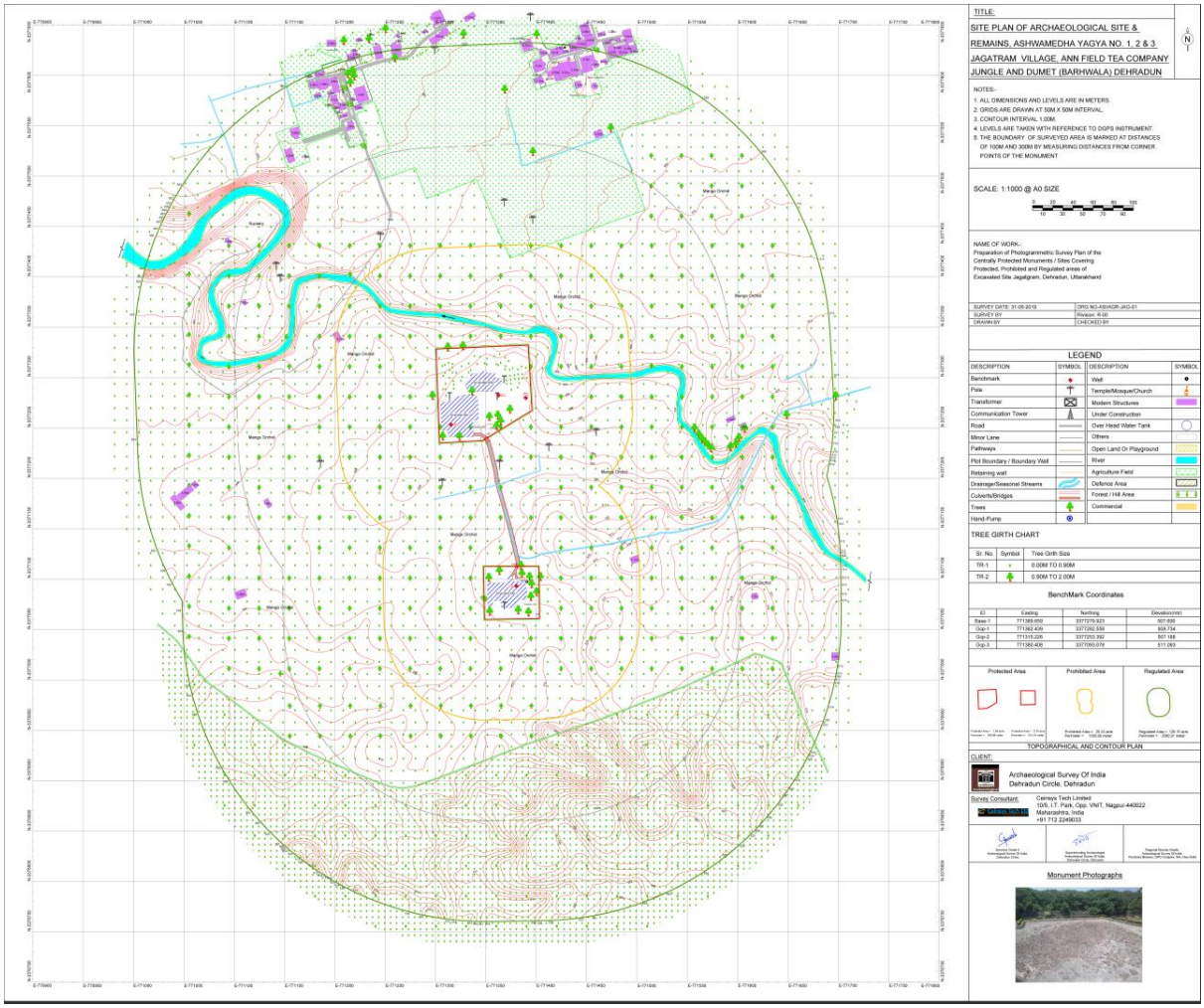

अनुलग्नक-II

ANNEXURE–II

पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून की राजपत्र अधिसूचना

Gazette Notification of Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3, Jagatgram Village, Dehradun

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2019

S.O. 1193(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 4899(E), dated the 19th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th September, 2018, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to the notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said archaeological site and remains as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 19th September, 2018;

And whereas, no objection has been received from the public to making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological site and remains specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument/site	Khasra numbers to be included under protection	Area (in Hectare)	Ownership	Boundaries
Uttrakhand.	Dehradun.	Vikas Nagar.	Jagatgram Village Ann Field Tea Company jungle and Dumet (Barhwala).	Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1, 2 & 3.	Village Ann Field Tea Company Jungle Khasra number 7.	0.3080 Hectare.	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra Kumar Niwasi Dehradun.	**North**: Khasra numbers 260, C.C. Road, 297, (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 2 and 9 of Village Ann Field Tea Company Jungle. East:- Khasra numbers 314, 315, 317, 318, 299 (Balance) Mango Garden, 298 (Balance), Nala and 297 (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 9 and 6 of Village Ann field Tea Company Jungle. South: Khasra numbers 6 of Village Ann field Tea Company Jungle and 297 (balance) of Village Dumet (Barhwala). West: Khasara numbers 2 of Village Ann field Tea Company Jungle, 297 (balance), 298 (Balance) Nala, 299 (Balance), Mango Garden, 273, 272, 265, 264, 263, C.C. Road and open land of village Dumet (Barhwala).
					Khasra number 8.	0.0360 Hectare.	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra Kumar, Niwasi Dehradun.	
					Village Dumet Khasra number 294 (Part).	0.0650 Hectare.	Rakesh Putra Janak Singh Niwasi Gram.	
					Khasra number 295.	0.0200 Hectare.	Archaeological Survey of India, Central Government.	
					Khasra number 296.	0.7570 Hectare.	Archaeological Survey of India, Central Government.	
					Khasra number 297 (Part).	0.0140 Hectare.	Rakesh Putra Janak Singh Niwasi Gram, Naresh Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram.	
					Khasra number 298 (Part).	0.0053 Hectare.	Naresh Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram and Sanjay Singh Putra Jeet Singh Niwasi Gram.	
					Khasra number 299 (Part).	0.0449 Hectare.	Naresh Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram, Sanjay Singh Putra Jeet Singh Niwasi Gram, Harish Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram and Atirikt Ceiling Bhumi.	
					Total Area	**1.2502 Hectare.**		

[F. No. 2-17/2012/-M]

USHA SHARMA, Dir. General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.13 19:48:12 +05'30'

मूल अधिसूचना की टाइप की गई प्रति
Typed Copy of Original Notification

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th March, 2019

S.O. 1193(E).-Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 4899(E), dated the 19th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th September, 2018, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to the notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said archaeological site and remains as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 19th September, 2018;

And whereas, no objection has been received from the public to making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological site and remains specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument/site	Khasra numbers to be included under protection	Area (in Hectare)	Ownership	Boundaries
Uttarakhand	Dehradun	Vikas Nagar	Jagatram Village Ann Field Tea Company jungle and Dumet (Barhwala)	Archaeological Site and Remains, Ashwamedha Yagya No. 1,2 & 3	Village Ann Field Tea Company Jungle Khasra number 7	0.3080 Hectare	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra Kumar Niwasi Dehradun.	**North:** Khasra numbers 260, C.C. Road, 297, (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 2 and 9 of Village Ann Field Tea Company Jungle. East:- Khasra
					Khasra number 8.	0.0360 Hectare	Aniruddh Kumar, Arvind Kumar, Putragan Shiv Chandra	

							Kumar, Niwasi Dehradun.	numbers 314, 315, 317, 318, 299 (Balance) Mango Garden, 298 (Balance), Nala and 297 (Balance) of Village Dumet (Barhwala), 9 and 6 of Village Ann field Tea Company Jungle. South: Khasra numbers 6 of Village Ann field Tea Company Jungle and 297 (balance) of Village Dumet (Barhwala). West: Khasara numbers 2 of Village Ann field Tea Company Jungle, 297 (balance), 298 (Balance) Nala, 299 (Balance), Mango Garden, 273, 272, 265, 264, 263, C.C. Road and open land of village Dumet (Barhwala).
					Village Dumet Khasra Number 294 (Part).	0.0650 Hectare.	Rakesh Putra Janak Singh Niwasi Gram.	
					Khasra Number 295.	0.0200 Hectare.	Archaeological Survey of India, Central Government.	
					Khasra Number 296.	0.7570 Hectare.	Archaeological Survey of India, Central Government.	
					Khasra number 297 (Part).	0.0140 Hectare.	Rakesh Putra Janak Singh Niwasi Gram.	
					Khasra Number 298 (Part).	0.0053 Hectare.	Naresh Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram and Sanjay Singh Putra Jeet Singh Niwasi Gram.	
					Khasra number 299 (Part).	0.0449 Hectare.	Naresh Kumar Putra Janak Singh Niwasi Gram, Sanjay Singh Putra Jeet Singh Niwasi Gram, Harish Kumar Putra Janak Singh	

							Niwasi Gram and Atirikt Ceiling Bhumi.	
					Total Area	1.2502 Hectare.		

[F.No. 2-17/2012/-M]
USHA SHARMA, Dir. General

अनुलग्नक-III
ANNEXURE–III

अभिलेखीय मानचित्र
Archival Map

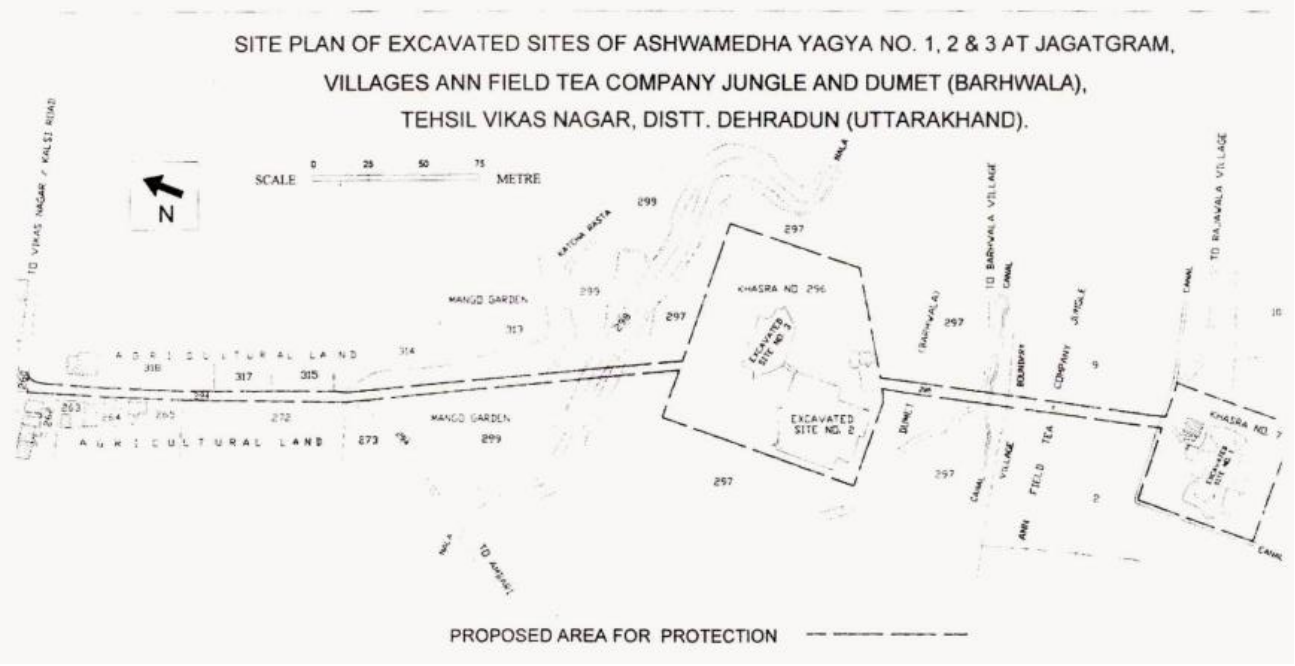

अनुलग्नक-IV

ANNEXURE-IV

स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र
Images of The Site and its Surroundings

चित्र 1, 2 और 3: उत्खनित स्थल का दृश्य
Image 1, 2 and 3: View of the excavated site

चित्र 4: ईंट शिलालेख
Image 4: Brick inscription

चित्र 5: संरक्षित स्थल की ओर जाने वाला मार्ग

Image 5: Pathway leading to the Protected Site

चित्र 6: संरक्षित स्थल के अंदर उपलब्ध बेंच

Image 6: Benches provided inside the protected site

चित्र 7: संरक्षित स्थल के अंदर शौचालय
Image 7: Toilet inside the Protected Site

चित्र 8: प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंदर एक छोटा मंदिर
Image 8: A small temple inside the Prohibited Area

चित्र 9: प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक जलधारा
Image 9: Natural Stream within the Prohibited Area

चित्र 10: उत्तर दिशा में निवास
Image 10: Residence on the North